राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

Ph. 0141&2227665, 2227514 Fax No. 2227147 E-mail rajseedmarketing@gmail.com

CIN-U75132RJ1978SGC001781 www.rajseeds.org

F6. ( )Mktg/Mktg Policy/2021-22/ दिनांक :

विपणन नीति परिपत्र

निगम द्वारा निर्धारित विपणन नीति के सम्बध मे पूर्व मे जारी सभी परिपत्रो का अतिक्रमण करते हुए निदेशक मण्डल की 224वीं एवं 226वीं बैठक मे अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार विपणन नीति निर्धारित की जाती है, जो रबी 2021–22 से अग्रिम आदेशो तक प्रभावी रहेगी :–

बीज विपणन तंत्रः–

- **राजकीय विभागः–** निगम द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों को उनकी मांग अनुसार प्राथमिकता से बीज उपलब्ध कराये जाते है, जिनमें मुख्यतया कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग को मिनिकिट्स एवं प्रदर्शन बीज मुख्यालय स्तर तथा इकाई स्तर से आवंटित कर आपूर्ति किये जावेंगे।
- **सामान्य वितरण :–** निगम द्वारा उपलब्धता एवं कृषि विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्य अनुसार अनुदानित दर पर बीजों का विक्रय राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के स्वंय के बीज विक्रय केन्द्र, सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, एफपीओ आदि एवं राजफैड के माध्यम से बीज विक्रय किया जाना है। गैर अनुदानित दर पर बीजों का विक्रय सहकारी समितियों क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजफैड़, निजी बीज विक्रेताओं एवं निगम के स्वयं के बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जावेंगा।

  इकाई के क्षेत्राधीन जिलों हेतु अधिकृत विक्रेता संयन्त्र प्रबन्धक के स्तर से नियुक्त किये जायेगें। प्रतिबद्ध विक्रेता मुख्यालय स्तर से नियुक्त किये जा सकेगे।
- **अन्य राज्यों व संस्थाओं को बीज विक्रयः–** सीजन में बीज की उपलब्धता राज्य में संभावित मांग से अधिक होने तथा अन्य राज्यों व संस्थाओं से मांग प्राप्त होने पर प्रबन्ध निदेशक स्तर पर अनुमोदन से बीज विक्रय किया जावेंगा। इसका विक्रय निर्धारित विक्रय दर अथवा आपसी सहमति से निर्धारित दर पर (एक्स–गोदाम) किया जावेंगा। बीज का विक्रय भुगतान प्राप्त कर अथवा आपसी सहमति के आधार पर किया जावेंगा।
- बल्क पैकिंग में बीज क्रय करने पर निर्धारित विक्रय दर में छोटी पैकिंग में होने वाले व्यय को घटाकर किया जावेंगा।
- **किसानों को सीधा विक्रयः–** राजसीड्स के सभी 22 संयंत्रों/बीज विस्तार केन्द्र तथा कृषि मण्डी में राजसीड्स के स्वयं की दुकानों/बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से भी राज्य के किसनों को बीज उपलब्ध कराया जावेंगा।

बीज वितरण पर देय परिलाभ :–

01. कृषि विभाग की योजनाओ में अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज विक्रय राज्य की बीज अनुज्ञा पत्रधारी क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, तिलहन सहकारी समितियों/लैम्पस पैक्स एफ.पी.ओ. राजसीड्स के स्वंय के आउटलेट के द्वारा ही किया जावेंगा। इस हेतु राजसीड्स के स्वयं के आउटलेट के अलावा अन्य सहकारी संस्थाओं व एफपीओ को 8 प्रतिशत व्यापारिक छूट दी जावेंगी, जो कृषक से वसूली योग्य राशि पर देय होगा। मिनिकिट तथा प्रदर्शन में स्थानीय परिवहन एवं लोडिंग/अनलोडिंग हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्धारित हैण्डलिंग चार्जेज का भुगतान किया जावेंगा। ग्राम सेवा/क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को 3 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्ज (ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत/क्रय विक्रय सहकारी समिति को 1 प्रतिशत) देय है।

02. कृषि एवं उद्यान विभाग को प्रदर्शन व मिनिकिट बीज एमआरपी अथवा आपसी सहमति से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जावेंगा। यह बीज सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय कराया जावेंगा।

03. गैर अनुदानित बीजों के विपणन हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) एवं विक्रय दर का निर्धारण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की अनुशंषा पर तत्समय प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा किया जावेंगा।

04. उक्त के अतिरिक्त सहकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं तथा अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा किये गये गैर अनुदानित बीजों के कारोबार के अनुसार विक्रय दर पर निम्नानुसार अतिरिक्त व्यापारिक छूट देय होगी :–

0 से 25 लाख रूपये तक (0 प्रतिशत)
25 से 50 लाख रूपये तक (0.5 प्रतिशत)
50 से 100 लाख रूपये तक पर 1 प्रतिशत (50 लाख से अधिक के कारोबार पर ही देय होगी)
100 से 150 लाख रूपये तक पर 1.50 प्रतिशत (100 लाख से अधिक के कारोबार पर ही देय होगी)
150 से 200 लाख एवं अधिक पर 2 प्रतिशत (150 लाख से अधिक के कारोबार पर ही देय होगी)

05. निगम के स्वयं के आउटलेट से गैर अनुदानित बीज क्रय करने पर कृषकों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 8 प्रतिशत छूट देय होगी।

06. खरीफ एवं रबी सीजन में आवश्यकतानुसार समयपूर्व निगम के बीज आपूर्ति हेतु अग्रिम उठाव योजना लागू की जा सकती है। इस हेतु अधिकृत विक्रेता को निर्धारित तिथि तक बीज की समस्त राशि जमा करवानी होगी। अग्रिम जमा राशि ना तो लौटायी जावेंगी और ना ही अन्य किसी बीज के क्रय करने में समायोजित की जावेंगी। अग्रिम उठाव योजना में क्रय किये गये बीज पर 1 प्रतिशत व्यापारिक छूट देय होगी। असामान्य परिस्थितियो में बीज उठाव नही करने पर अग्रिम उठाव हेतु जमा कराई गई राशि का समायोजन, शास्ती (जमा राशि का 20 प्रतिशत) एवं वापस लौटाने के संदर्भ में कमेटी द्वारा समीक्षा कर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लेगी। इस सम्बध में अंतिम निर्णय प्रबंध निदेशक का मान्य होगा।

07. राजसंघ एवं राजफैड के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले बीज पर व्यापारिक छूट उनसे होने वाले एम.ओ.यू. के आधार पर देय होगी।

08. निजी / सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं को अन्य सुविधायें:–

- निजी / सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को अनुदानित एवं गैर अनुदानित 5 किग्रा तक पैकिंग साईज के बीजों की 25 क्विं. से अधिक मात्रा व अन्य बीजों की 45 क्विं. अथवा अधिक मात्रा एक साथ उठाने पर एफ.ओ.आर. सुविधा (लोडिंग व्यय सहित) प्रदान की जावेंगी। यदि विक्रेता बीज अपने स्वयं के साधन से परिवहन करता है तो निगम की अधिकृत परिवहन दर से राशि उसके क्रय बिल में समायोजित की जा सकती है। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में अनलोडिंग व्यय **निजी / सहकारी** क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता द्वारा वहन किया जावेंगा। उक्त निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर एफ.ओ. आर. सुविधा इत्यादि देय नहीं होगी।
- निजी / सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं को गैर अनुदानित बीज पर 50 लाख से अधिक के कारोबार पर उसके मुख्य गोदाम / नामांकित विक्रेता की दुकान / गोदाम (नामांकित विक्रेता का नाम, दुकान / गोदाम का पूर्ण पता सीजन से पूर्व कार्यालय को प्रेषित करनी होगी) तक एफ.ओ.आर. व लोडिंग सुविधा देय होगी। यदि विक्रेता बीज अपने स्वयं के साधन से परिवहन करता है तो निगम की अधिकृत परिवहन दर से राशि उसके क्रय बिल में समायोजित की जा सकेगी। अनलोडिंग व्यय अधिकृत विक्रेता को वहन करना होगा।

09. सीजन समाप्ति से पूर्व बुवाई के आंकड़े, बीज की उपलब्धता व सीजन अवधि को ध्यान में रखते हुए अवशेष मात्रा की समीक्षा कर निगम को कम से कम हानि हो, इसको मद्देनजर रखते हुए विक्रय दरों पर पुनः विचार कर कमेटी की अनुंशषा पर प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन उपरान्त संशोधित विक्रय दर (जो मूल लागत से कम नहीं हो) निर्धारित करते हुए बीजों का विक्रय किया जावेंगा। उक्त कार्यवाही के बाद भी यदि बीज कैरीऑवर रहने की संभावना रहती है तो पुन कमेटी एवं प्रबंध निदेशक की अनुशंषा पर माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से मूल लागत से कम दर पर भी बीज विक्रय किया जा सकेगा।

(जसवन्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
(DIN 08383856)

F6. ( )Mktg/Mktg Policy/2020-21/ दिनांक :

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u>:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि, एवं आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / अनुसंधान / विस्तार) राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / आइसोपॉम / आदान) राजस्थान, जयपुर / समस्त संभाग।
6. उप निदेशक कृषि (बीज / सूचना)राजस्थान, जयपुर / उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक, वित्त / विधायन / उत्पादन, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., जयपुर।
8. कम्पनी सचिव, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., जयपुर।
9. क्षेत्रीय / संयंत्र प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., समस्त को भेजकर पालनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को अपने स्तर से अवगत करवानें का श्रम करें। विपणन नीति मे अंकित इकाईयो से सम्बधित सभी दिशा–निर्देशो की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करे।
10. सहायक लेखाधिकारी / कनिष्ठ लेखाकार राजसीड्स समस्त इकाईयां को पालनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक